न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर

प्रार्थना पत्र संख्या – 93 /2021

ग्राम पंचायत खोरी जरिये सरपंच, ग्राम पचांयत खोरी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर

।। आदेश।।

दिनांक : 26.11.2021

तहसीलदार पुष्कर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, प्रस्ताव (तहसीलदार), अभिशंषा तहसीलदार पुष्कर एवं राजस्व ग्रुप–6 राजस्थान सरकार का परिपत्र क्रमांक प.3(2)राज–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय अजमेर के पत्र क्रमांक कअ./राजस्व/2021/9718–46 दिनांक 17.08.2021 तथा पत्रांक 3615–43 दिनांक 19.03.2021 में प्रदत निर्देशों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिसके अनुसार ग्राम खोरी ग्राम पंचायत खोरी तहसील पुष्कर के सिवायचक खसरा नम्बर 567 रकबा 3.03 है0 किस्म बारानी 3, खसरा नम्बर 524 रकबा 0.97 है0 किस्म बारानी 3 एवं चरागाह भूमि के खसरा नम्बर 833 रकबा 4.95 है0 किस्म गै0मु0पहाड़, खसरा नम्बर 524/1139 रकबा 1.00 है0 किस्म गै0मु0पहाड़ एवं खसरा नम्बर 835 रकबा 3.93 है0 किस्म गै0मु0पहाड़ में से मौके पर रास्ता चालू है परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का अंकन नहीं है। संबंधित पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में मौके पर उक्त रास्ता काफी समय से चालू बताया गया है। साथ ही तहसीलदार पुष्कर ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा की है। इस प्रकार यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पुष्कर को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम खोरी ग्राम पंचायत खोरी तहसील पुष्कर के सिवायचक खसरा नम्बर 567 रकबा 3.03 है0 किस्म बारानी 3 में से 1292 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 524 रकबा 0.97 है0 किस्म बारानी 3 में से 554 वर्गमीटर एवं चरागाह भूमि के खसरा नम्बर 833 रकबा 4.95 है0 किस्म गै0मु0पहाड़ में से 738 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 524/1139 रकबा 1.00 है0 किस्म गै0मु0पहाड़ में से 554 वर्गमीटर एवं खसरा नम्बर 835 रकबा 3.93 है0 किस्म गै0मु0पहाड़ में से 1661 वर्गमीटर कुल किता 05 कुल रकबा 4799 वर्गमीटर (रास्ते की चौड़ाई [illegible]) मौके पर उक्त चालू रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड एवं राजस्व नक्शें में **भूमि की किस्म चरागाह यथावत रखते हुये नियमानुसार गै.मु.रास्ता** दर्ज करावें तथा पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करें।

यह आदेश आज दिनांक 26.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:50:58 IST
Reason: SelfAttested

26.11.

सुखाराम पिण्डेल
(आर0ए0एस)
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर